

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2021/454

भोपाल, दिनांक 05/04/2021

—: आदेश :-


प्रदेश में आदेश क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1693 दिनांक 30.09.2020 द्वारा कोविड-19 के RT-PCR Test एवं Rapid Antigen Test हेतु समस्त निजी RT-PCR आई.सी.एम.आर. एवं NABL द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं एवं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिये जांच के शुल्क निर्धारित किये गये थे।

वर्तमान में कोविड-19 जांच के किट्स, कंज्युमेबल की दरों में निरन्तर कमी एवं अन्य राज्यों में कोविड-19 जांच के शुल्क को कम करने को देखते हुये समस्त निजी RT-PCR आई.सी.एम.आर. एवं NABL द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं एवं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 जांच हेतु RT-PCR एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट के पुनरीक्षित शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित शर्तों में लागू की जाती है :-

1. RT-PCR Test से कोविड-19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क रू. 700/- प्रति मरीज लिया जावेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क रू. 200/- लिया जा सकता है। उक्त शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क, कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।
2. Rapid Antigen Test से कोविड-19 जांच यदि अस्पताल/प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क रू. 300/- प्रति मरीज लिया जावेगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क रू. 200/- लिया जा सकता है। उक्त शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क, कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है।
3. कोविड-19 की आर.टी.-पी.सी.आर जांच एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार, एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकाल एवं गाईडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. सेम्पल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता, वास्तविक मोबाईल नम्बर की सम्पूर्ण सूचना आर.टी.पी.सी.आर. ऐप पर अपलोड करते हुये संधारित की जावे एवं उक्त सूचना गोपनीय रखी जाये।
5. निजी जांच प्रयोगशालाओं/अस्पतालों द्वारा कोविड-19 की जांच का परिणाम राज्य सरकार एवं आई.सी.एम.आर. के साथ वास्तविक समय आधार पर आई.सी.एम.आर. पोर्टल पर साझा करते हुये आर.टी.पी.सी.आर. ऐप पर भी तत्काल अपलोड किया जाये।
6. जांच के परिणाम की सूचना जांच का परिणाम आने के बाद संबंधित मरीज को तत्काल दी जाये।

7. जांच में मरीज के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित आई.डी.एस.पी. सेल को तत्काल दी जाये।
8. निजी जांच प्रयोगशालाओं/अस्पतालों द्वारा आर.टी.पी.सी.आर. मशीन से उत्पन्न समस्त डाटा, ग्राफ एवं किट्स के बैच नम्बर के रिकार्ड सुरक्षित रखें जावे ताकि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर भविष्य में इसका सत्यापन/जांच की जा सकेगी।
9. निजी जांच प्रयोगशालाओं/अस्पतालों के प्रबन्धन द्वारा जांच की उक्त निर्धारित दरें सहज दृश्य स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये।
10. निजी जांच प्रयोगशालाओं/अस्पतालों के प्रबन्धन द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/राज्य आई.डी.एस.पी. शाखा को दी जाये।

उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 एवं 2 अनुसार कोविड-19 की आर.टी.-पी.सी.आर. एवं रेपिड एन्टीजन जांच की उक्त निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उक्त आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये।



(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य सह
पदेन सचिव
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2021/455

भोपाल, दिनांक 05/04/2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि., भोपाल।
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविधालय, मध्यप्रदेश।
10. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
13. समस्त कोविड-19 जांच निजी प्रयोगशालाओं एवं अस्पतालों, आई.सी.एम.आर. द्वारा अनुमोदित।


आयुक्त स्वास्थ्य सह
पदेन सचिव
मध्यप्रदेश